Rules & Regulations

पुस्तकालय के नियम

1. रविवार अथवा शासन द्वारा घोषित घोषित अवकाशों को छोड़कर पुस्तकालय प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा |
2. महाविद्यालय के समस्त नियमित छात्र /छात्राएं परिचय पत्र एवं प्रवेश कार्ड प्रस्तुत कर

पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं |

1. प्रत्येक छात्र / छात्राओं को स्नातक स्तर पर 2 पुस्तकें 14 दिनों के लिए निर्गमित होगी| आवश्यकता पड़ने पर इन्ही पुस्तकों को आगामी 7 दिनों के लिए पुनः निर्गमित करवाया जा सकता हैं |
2. छात्र / छात्रा स्वयं पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित करवा सकते है, उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को पुस्तकें नही दी जायेंगी |
3. पुस्तक को तिथि पत्रक पर अंकित तिथि तक वापस कर देना चाहिये, अन्यथा प्रति पुस्तक की दर से अतिदेय शुल्क देना होगा |
4. यदि किसी छात्र / छात्रा की निर्गमित पुस्तक खो जाती हैं, तो छात्र / छात्रा के द्वारा उसी पुस्तक का प्रतिस्थापना करना होगा, अन्यथा विशेष परिस्थितियों में पुस्तक का बाज़ार मूल्य चुकाना होगा |
5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्र / छात्राओं के लिए बुक बैंक से अध्ययन हेतु सत्र तक पुस्तकें निर्गमित की जाती हैं |
6. संदर्भ ग्रन्थ, पाठ्यक्रम विवरणिका आदि निर्गमित नही कियें जायेंगे |
7. निर्धन एवं विकलांग छात्र / छात्राओं को विशेष सुविधा प्रदान की जाती हैं |
8. छात्र / छात्राओं को घोषित समय सारणी के अनुसार ही पुस्तकें निर्गमित की जायेंगी |
9. पुस्तकों पर निशान लगाना, फाड़ना या बिगाड़ना नैतिक अपराध है | यदि ऐसा पाया जाता है, तो विद्यार्थी अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ अर्थदंड का भागी होगा |
10. विद्यार्थी अपने स्थानांतरण एवं पते में परिवर्तन की सूचना अवश्य दें |
11. पुस्तकालय बंद द्वार प्रणाली (close access system) के अंतर्गत संचालित हैं |